वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली.110 001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi- 110 001

4-10(39)/2024-HR-II

Dated 27.01.2025

From

संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

सेवा में,

सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय के निदेशक/प्रमुख

विषय: **पीडब्ल्यूबीडी प्रमाणपत्रों की सख्त जांच - के संबंध में।**

मैडम/ सर,

आपका ध्यान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की दिनांक 30.09.2009 की राजपत्र अधिसूचना की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके द्वारा 'दिव्यांग जन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) आशोधन नियमावली, 2009 को अधिसूचित किया गया है। नियम संख्या 3 से 6 (अध्याय-II) और दिनांक 29.11.2013 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/1/2012-स्था.(आरईएस) में दिव्यांगता प्रमाण-पत्र से संबंधित प्रावधान हैं और सभी मंत्रालयों/विभागों को दिव्यांगता प्रमाण-पत्र सत्यापित करने के निर्देश जारी किये गए हैं।

सीएसआईआर की सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों/केंद्रों को सलाह दी जाती है कि वे इस विषय पर दिए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन करें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त किए जाएं। यदि किन्हीं अधिकारियों ने अपने दिव्यंगता प्रमाण-पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं किए हैं तो उनसे प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में तुरंत प्राप्त किए जाएँ। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्रों का सत्यापन/जांच एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर की जाए तथा सत्यापन के लंबित मामलों में समयबद्ध कार्यवाई करके उसे पूरा किया जाए।

भवदीया,

(पूर्णिमा अरोड़ा)
उप सचिव

Phones : EPABX-23710138, 23710144, 23710158, 23710468, 23710805, 23711251, 23714238, 23714249, 23714769, 23715303
Fax : 91-11-23714788
Website : http://www.csir.res.in